#### स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग) नई दिल्ली, 4 मार्च, 2003

सा.का.नि. 125.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पतील, चंडीगढ़ में ज्येष्ठ प्राध्यापक (त्वचा रोग विज्ञान और रति रोग विज्ञान), उपाचार्य (त्वचा रोग विज्ञान और रति रोग विज्ञान) और आचार्य (त्वचा रोग विज्ञान और रति रोग विज्ञान) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :---

 संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़, ज्येष्ठ प्राध्यापक (त्वचा रोग) विज्ञान और रति रोग विज्ञान), उपाचार्य (त्वचा रोग) विज्ञान और रति रोग विज्ञान) और आचार्य (त्वचा रोग) विज्ञान और रति रोग विज्ञान) भर्ती नियम, 2002 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

 पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान .-- उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि .— उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में बिनिर्दिष्ट हैं।

निरहंता : — वह व्यक्ति, —

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या का किया है किया है किया है किया के मिला कि किया है किया है किया के किया क

(ख) जिसने अपने पति <mark>या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,</mark> उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु, यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करने के पश्चात् इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति . — इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनसची सेवा में जोडे सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए पद का नाम पदों की संख्या वर्गीकरण योग्यता के वेतनमान गए वर्षों का आधार पर आय-सीमा फायदा अनु-चयन या ज्ञेय है या नहीं चयन-सह-ज्येष्ठता अथवा अचयन पद 7 6 5 1 2 3 4 नहीं 50 वर्ष से अधिक नहीं आचार्य 1\* साधारण 18600-500-लागू नहीं सरकारी सेवकों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा केन्द्रीय सेवा 22100 रु. (त्वचा रोग (2002)होता समूह 'क' जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार अगैर विज्ञान, रति \*कार्यभार के 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। आधार पर राजपत्रित प्रैक्टिस रोग विज्ञान टिप्पण : आयू-सीमा अवधारित करने के लिए और कुष्ठ परिवर्तन किया अनन्-बंदी भत्ता निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन रोग) जा सकता है। सचिवीय प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लदाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

तींधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सी <b>धे भ</b> र्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
8	9	10
भावश्यक : (i) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की अनुसूची में सम्मिलित कोई एक मूल विश्वविद्यालय या समतुल्य अर्हता और किसी राज्य आयुर्विज्ञान रजिस्टर या भारतीय आयुर्विज्ञान रजिस्टर में जिस्ट्रीकृत होना चाहिए। (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से एम. डी. (त्वचा रोग विज्ञान और रति रोग विज्ञान)/एम.डी. (त्वचा रोग विज्ञान और रति रोग विज्ञान और कुष्ठ रोग)/एम.डी. (त्वचा रोग विज्ञान)/एम. डी. (त्वचा रोग विज्ञान जिसमें रति रोग विज्ञान सम्मिलित है)/एम. डी. (त्वचा रोग विज्ञान जिसमें रति रोग विज्ञान सम्मिलित है)/एम. डी. (त्वचा रोग विज्ञान जिसमें रति रोग	आयु : नहीं शैक्षिक अर्हताएं : हां	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए एक वर्ष ।
विज्ञान कुष्ठ रोग सम्मिलित है)/डी वी डी या डी डी सहित एम. डी.		aller i trans a n i i i i i i i
(आयुर्विज्ञान) या समतुल्य। iii) स्नातकोत्तर अर्हता प्राप्त करने के पश्चात् वृत्ति में 10 वर्ष का अनुभव जिसमें		a mana a da ana ang ang ang ang ang ang ang ang an
4 वर्ष का अनुभव किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान महाविद्यालय/शिक्षण संस्था में उपाचार्य/सहयुक्त आचार्य के रूप में होना चाहिए। टेप्पण 1:—अईताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।	elenanst all energy of defe-	n Hoven V. Gran in Still States of the Still States of the Still States of the Still
टेप्प्पा 2 :— अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा		
में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अर्भ्यार्थयों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की		
संभावना नहीं है।		
वांछनीय :—इन्डैक्स मैडिक्स/राष्ट्रीय पत्रिकाओं में अनुक्रमांकित कम से कम चार अनुसंधान प्रकाशन और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में एक अनुसंधान प्रकाशन हो।		
	तिनियु <b>क्ति/आ</b> मेलन द्वारा भर्ती की द त्रति/प्र <b>तिनि</b> युक्ति/आमेलन किया ज	
11	12	

प्रान्नात/प्रातानयुावत (जिसके अतगत अल्पकालिक साप्या मा ह) जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा। भी है : I. केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों/कानूनी निकायों/ स्वशासी संगठनों/अनुसंधान संस्थाओं के अधीन ऐसे अधिकारी :--(क)(i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने 16400-20000 रु. के या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर 2 वर्ष नियमित सेवा की है; और (ख) जिनके पास स्तंभ (8) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं हैं। II. उपाचार्य (त्वचा रोग विज्ञान, रति रोग विज्ञान, कुष्ठ रोग विज्ञान की श्रेणी में ऐसे विभागीय अधिकारी पर भी जिन्होंने उस श्रेणी

8	THE	GAZETTE	OF INDIA : MARCH	24,200/011111011,1720	[Part II—Sec. 3(i)]
	and the second			12	K
				में दो वर्ष नियमित सेवा की है, बाह्य विचार किया जाएगा और यदि उसक चयन हो जाता है तो उसे प्रोन्नति द्वारा पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुन् के पात्र नहीं होंगे। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत	ा पद पर नियुक्ति के लिए भरा गया समझा जाएगा; प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं जाने के पात्र नहीं होंगे। इसे का के लिए विचार किए जान
				किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति व 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति प अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिक करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिव	से ठीक पहले धारित किसे हो अवधि है, साधारणतय तर नियुन्तित (जिसके अतंगी तम आयु सीमा आवेदन प्राप
दे विभागी	य प्रोन्नति संमिति है	, तो उसकी संर	चना विश्व विश्व	भर्ती करने में किन परिस्थितिय आयोग से परामर्श किया जाए	ों में संघ लोक सेवा गा
	13		THE REAL OF THE REAL		an the three states of the (i
. सचिव, . प्रधानाच	वव, चंडीगढ्, प्रशा आयुर्विज्ञान शिक्षा गर्य, सरकारी आयुर्ा	सन और अनुसंधान,	, चंडीगढ़ प्रशासन —र लय और	तध्यक्ष करना आवश्यक है। तदस्य	the second print
. सचिव, प्रधानाच	वव, चंडीगढ, प्रशा आयुर्विज्ञान शिक्षा तर्य, सरकारी आयुर्ग त, चंडीगढ़	सन और अनुसंधान,	—-3 , चंडीगढ़ प्रशासन —स ालय और —स	निष्यत्व मार्गा आगरमा रम्	
सचिव, प्रधानाच अस्पताल 1 पाचार्य त्वचा रोग बेज्ञान, रति 1ग विज्ञान मौर कुष्ठ	क, चंडीगढ़, प्रशा आयुर्विज्ञान शिक्षा गर्य, सरकारी आयुर्गि न, चंडीगढ़ 2 1* (2002) *कार्यभार के आधार पर	सन और अनुसंधान, विज्ञान महाविद्य अल्हीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित, अननु- सचिवीय		हों 50 वर्ष से अधिक नहीं सरकारी सेवकों के लिए केन्द्रीय सरकार जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के उ 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने निर्णायक तारोख भारत में अभ्यार्थयों से प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंति	7 नहीं द्वारा अनुसार के लिए आवेदन म तारीख
. सचिव, . प्रधानाच अस्पताल	क, चंडीगढ, प्रशा आयुर्विज्ञान शिक्षा त, चंडीगढ़ 2 1* (2002) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सन और अनुसंधान, विज्ञान महाविद्य 3 साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित, अननु- सचिवीय		ह हों 50 वर्ष से अधिक नहीं सरकारी सेवकों के लिए केन्द्रीय सरकार जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के उ 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंति होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो अग मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश राज्य के लदाख खंड, हिमाचल प्रदेश लाहाँल और स्पीति जिले तथा चम्बा-नि के पांगी उपखंड, अंदमान और निको द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)	7 द्वारा अनुसार के लिए आवेदन म तारीख तम, मणिपुर, मीर के जेले बार
. सचिव, . प्रधानाच अस्पताल	क, चंडीगढ, प्रशा आयुर्विज्ञान शिक्षा त, चंडीगढ़ 2 1* (2002) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सन और अनुसंधान, र्वज्ञान महाविद्य 3 साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित, अननु- सचिवीय		ही 50 वर्ष से अधिक नहीं सरकारी सेवकों के लिए केन्द्रीय सरकार जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के उ 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंति होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो अभ मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरस, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश राज्य के लहाख खंड, हिमाचल प्रदेश लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा- के पांगी इपखंड, अंदमान और निको द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)	7 द्वारा अनुसार के लिए आवेदन म तारीख तम, मणिपुर, मीर के जेले बार
. सचिव, . प्रथानाच अस्पताल 1 उपाचार्य त्वचा रोग बेज्ञान, रति रोग विज्ञान और कुष्ठ तेग)	वल, चंडीगढ, प्रशा आयुर्विज्ञान शिक्षा त. चंडीगढ़ 2 1* (2002) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। जा सकता है। 5 : (i) भारतीय आ	सन और अनुसंधान, र्वज्ञान महाविद्य 3 साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित, अननु- सचिवीय 8 युर्विज्ञान परिषद		हों 50 वर्ष से अधिक नहीं सरकारी सेवकों के लिए केन्द्रीय सरकार जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के उ इ वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने निर्णायक तारीख भारत में अभ्यार्थियों से प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंति होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो अभ मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिछोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश् राज्य के लदाख खंड, हिमाचल प्रदेश लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा- के पांगी उपखंड, अंदमान और निको द्वीर या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) 9 56 का 102) आयु : नहीं श्रीक्षक अर्हताएं : हां	अनुसार के लिए आवेदन म तारीख तम, मणिपुर, मीर के जले बार
संचिव, प्रथानाच अत्पताल उपाचार्य (त्वचा रोग विज्ञान, रति रोग विज्ञान और कुण्ठ रोग)	क, चंडीगढ, प्रशा आयुर्विज्ञान शिक्षा त. चंडीगढ़ 2 1* (2002) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। जा सकता है। क : (i) भारतीय आ ची में सम्मिलित य ती ग्राज्य आयुर्विज्ञा	सन और अनुसंधान, विज्ञान महाविद्य 3 साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित, अननु- सचिवीय अननु- सचिवीय व पुर्विज्ञान परिषद हे एक मूल दि		हों 50 वर्ष से अधिक नहीं सरकारी सेवकों के लिए केन्द्रीय सरकार जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के उ इ वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने निर्णायक तारीख भारत में अभ्यार्थियों से प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंति होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो अभ मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिछोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश् राज्य के लदाख खंड, हिमाचल प्रदेश लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा- के पांगी उपखंड, अंदमान और निको द्वीर या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) 9 56 का 102) आयु : नहीं श्रीक्षक अर्हताएं : हां	7 नहीं द्वारा अनुसार के लिए आवेदन म तारीख तम, मणिपुर, मीर के जाले बार 10 सीधे भर्ती किए जाने वाले क्यक्तियों के

; f

ः f f

र्भाष्ट्रा । । ता छा स ६ ६ स.

00

10

2

(ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से एम.डी. (त्वचा रोग विज्ञान और ति रोग विज्ञान)/एम.डी. (त्वचा रोग विज्ञान और रति रोग विज्ञान और कुछ तेग)/एम.डी. (त्वचा रोग विज्ञान)/एम. डी. (त्वचा रोग विज्ञान जिसमें रति रोग वेज्ञान सम्मिलित है)/एम. डी. (त्वचा रोग विज्ञान जिसमें रति रोग विज्ञान और उष्ठ रोग सम्मिलित है)/डी वी डी या डी डी सहित एम. डी. (आयुर्विज्ञान) या अमतुल्य।

iii) स्नातकोत्तर अर्हता प्राप्त करने के पश्चात् संबंधित विशेषज्ञता में किसी मान्यताप्राप्त मायुर्विज्ञान महाविद्यालय/शिक्षण संस्था में सहायक आचार्य/ज्येष्ठ प्राध्यापक/ ाध्यापक के रूप में 5 वर्ष का शिक्षण अनुभव।

टप्पण 1 : — अर्हताएं, अन्यथा सुअर्थित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा नायोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।

टेप्प्पा 2:—अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के त्रवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा i तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा गयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित गनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की iभावना नहीं है।

ांछनीय :--इनडैक्स मैडिक्स/राष्ट्रीय प्रत्रिकाओं में अनुक्रमांकित कम से कम ार अनुसंधान प्रकाशन।

11 ····	12
ोन्नति/प्रतिनियुक्ति ( जिसके अतंर्गत अल्पकालिक संविदा भी है ) जसके न हो सकने पर सीथी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति (जिसके अतंर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) : I. केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों/कानूनी निकायों/ स्वशासी संगठनों/अनुसंधान संस्थाओं के अधीन ऐसे अधिकारी :—
	(क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने 14300-18300 रु. के या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर 2 वर्ष नियमित सेवा की है; और
and a second product of a second base of the second s	(ख) जिनके पास स्तंभ (8) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं हैं।
	II. ज्येष्ठ प्राध्यापक (त्वचा रोग विज्ञान, रति रोग विज्ञान, कुष्ठ रोग) की श्रेणी में ऐसे विभागीय अधिकारियों पर भी जिन्होंने उस श्रेणी में दो वर्ष नियमित सेवा की है, बाह्य व्यक्तियों के साथ विचार किया जाएगा और यदि उसका पद पर नियुक्ति के लिए चयन हो जाता है तो उसे प्रोन्नति द्वारा भरा गया समझा जाएगा।
	पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।
	(प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति (जिसके अतंर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

	13					14	1999 - A.	Ke .
and the second	A Contractory	in the same and		लेख गोलनि या	पितिः प्रलोक	अवसर पर संघ लोक र	वेवा आयोग मे	र परामर्श
			मूह का जिला	—अध्यक्ष	करनाः	आवश्यक है। हा हा ह	and the second	र ल्या मिल्लान की
ृह साचव,	, चंडीगढ़, प्रशा ज	सन			West War in the second		the property of the second	The second second second
ताचव, आ	युर्विज्ञान शिक्षा	आर अनुसधान	।, चडागढ़ प्रशा	सन — सदस्य	y America Science in	(summing dis Helpico		and the state of the state of the
	, सरकारी आयुर्ग	বরান मह।।বহ	ालय आर	—सदस्य	(中国) 中国 (FF)	( तहन येग , निक्रा		DATE HAR A TO PA
अस्पताल,		- fromme	1011	- (14(4	常常的用意。这一世	ersin fr fr fr	在1300年期	國际曲 中下 了
	भाग का आचार्य		শণ্ন,				O CONTRACTOR	4.4. JEL 1747
	युर्विज्ञान महावि	घालप जार		सदस्य	and the states	रेने फ्रांग्रेस संग्रह के	रहा के रहे हैं।	१११) स्थानकान्द्र (१११)
अस्पताल,	चडागढ्		<u>in services</u>		जनसः सन्दर्भ जीतानीक	The Halo of the International	A Participation of the	CONTRACTOR IN
	2	3	4	5	6	ाकार्यना नामुभव ।	रे तन ने हे दे व	1. 中国、第 <b>7</b> 年前中国日
' ठ प्राध्यापव		साधारण	14300-400-	लागू नहीं	50 वर्ष से अधिक	नहीं		नहीं। त्यम् इ
	(2002)	केन्द्रीय सेवा	15900-	होता	सरकारी सेवकों वे	लए केन्द्रीय सरकार	द्वारा जिनम	<b>拉拉教育的任何</b> 110114
	*कार्यभार के	समूह 'क'	450-		जारी किए गए अ	नुदेशों या आदेशों के अ		
	आधार पर		18150 रु.	(19) (19)		त की जा सकती है।	wein nit	विवन्त्रायाः न्यूम
	परिवर्तन किया	अननु-	और	and the second s	टिप्पण : आयु-स	नीमा अवधारित करने वे	क लिए	ি নৰ লিপিন হল
	जा सकता है।	सचिवीय	प्रैक्टिस		निर्णायक तारीख	भारत में अभ्यर्थियों से अ	आवेदन	का उस कि भाषा
	an general de l		बंदी भत्ता	有移行	प्राप्त करने के लि	ए नियत की गई अंतिम	। तारीख	नजुभय रहने काल इ
				· 市	होगी। (न कि वह	अंतिम तारीख जो अग	लम,	HATTER PORTE
					मेघालय, अरुणाच	वल प्रदेश, मिजोरम, म	राणपुर,	
					नागालैंड, त्रिपुरा,	वल प्रदेश, निजारन, ज सिविकम, जम्मू-कश्म	गर के के कि	ार्ग् संप्रसंस्थित् । जन्म
	7					IP THEIR TIPUT	Charles .	The state of the state of the state of the state
					राज्य के लदाख र	वड, ारुमापल प्रपरा	20 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 -	and the second s
					राज्य के लद्दाख र लाहौल और स्पी	ति जिले तथा चम्बा-जि	ले	
					राज्य के लदाख र लाहौल और स्पी के पांगी उपखंड,	ति जिले तथा चम्बा-जि अंदमान और निकोब	ले	(T
			स्त्रान् २७७ स्त्रान् २७७ द्वार्		राज्य के लदाख र लाहौल और स्पी के पांगी उपखंड, लीप या लक्षदीप	ति जिले तथा चम्बा-जि अंदमान और निकोब के अभ्यर्थियों के लिए	ाले गर	
					राज्य के लदाख र लाहौल और स्पी के पांगी उपखंड, लीप या लक्षदीप	ति जिले तथा चम्बा-जि अंदमान और निकोब	ाले गर	
			ana san 20 Tan fanaf m		राज्य के लदाख र लाहौल और स्पी के पांगी उपखंड, लीप या लक्षदीप	ति जिले तथा चम्बा–जि अंदमान और निकोब के अभ्यर्थियों के लिए ।)	ाले तर नेक कंप्साचे )	
	8	and a Marcal	2000 200 21 	Construction	राज्य के लदाख र लाहौल और स्पी के पांगी उपखंड, द्वीप या लक्षद्वीप विहित की गई है	ति जिले तथा चम्बा-जि अंदमान और निकोब के अभ्यर्थियों के लिए ।) 9	।ले गर 	(† 1567:50:10:20) 10
व्यप्रयकः :	8 (i) भारतीय आग	यर्विज्ञान परिषद	अधिनियम, १९	956 ( 1956 का	राज्य के लदाख र लाहौल और स्पी के पांगी उपखंड, द्वीप या लक्षद्वीप विद्तित की गई है विद्तित की गई है	ति जिले तथा चम्बा–जि अंदमान और निकोब के अभ्यर्थियों के लिए ।)	।ले गर 	ा) निः अवितिसुम्बित म <u>दी च सा स्वतन्त</u>
- anarritano	४ (i) भारतीय आग गें में मम्मिलित	युर्विज्ञान परिषद कोई एक मल	् अधिनियम, 19 विश्वविद्यालय	956 ( 1956 का या सम्रतुल्य आ	राज्य के लदाख र लाहौल और स्पी के पांगी उपखंड, द्वीप या लक्षद्वीप विहित की गई है 102) लागू र ईता	ति जिले तथा चम्बा-जि अंदमान और निकोब के अभ्यर्थियों के लिए ।) 9	।ले गर 	(† 1567:50:10:20) 10
· anarriano	४ (i) भारतीय आग गें में मम्मिलित	युर्विज्ञान परिषद कोई एक मल	् अधिनियम, 19 विश्वविद्यालय	956 ( 1956 का या सम्रतुल्य आ	राज्य के लदाख र लाहौल और स्पी के पांगी उपखंड, द्वीप या लक्षद्वीप विहित की गई है 102) लागू र ईता	ति जिले तथा चम्बा-जि अंदमान और निकोब के अभ्यर्थियों के लिए ।) 9	।ले गर 	(† 1567:50:10:20) 10
। अनुसूचिय र किसी - र	४ (i) भारतीय आग वों में सम्मिलित तज्य आयुर्विज्ञा	युर्विज्ञान परिषद कोई एक मल	् अधिनियम, 19 विश्वविद्यालय	956 ( 1956 का या सम्रतुल्य आ	राज्य के लदाख र लाहौल और स्पी के पांगी उपखंड, द्वीप या लक्षद्वीप विहित की गई है 102) लागू र ईता	ति जिले तथा चम्बा-जि अंदमान और निकोब के अभ्यर्थियों के लिए ।) 9	।ले गर 	(† 1567:50:10:20) 10
अनुसूचि्य र किसी र	8 (i) भारतीय आग वों में सम्मिलित तज्य आयुर्विज्ञा रोना चाहिए ।	युर्विज्ञान परिषद कोई एक मूल न रजिस्टर या	्अधिनियम, 19 विश्वविद्यालय भारतीय आर्	956 (1956 का या सम्रतुल्य आ र्गुविज्ञान रजिस्ट	राज्य के लदाख र लाहौल और स्पी के पांगी उपखंड, द्वीप या लक्षद्वीप <sup>दं</sup> विहित की गई है 102) लागू ईता र में	ति जिले तथा चम्बा-जि अंदमान और निकोब के अभ्यर्थियों के लिए ।) 9	।ले गर 	(† 1567:50:10:20) 10
। अनुसूचिर ार किसी - र जस्ट्रीकृत ह	8 (i) भारतीय आग वों में सम्मिलित राज्य आयुर्विज्ञा होना चाहिए।	युर्विज्ञान परिषद कोई एक मूल न रजिस्टर य वविद्यालय/संस्	्अधिनियम, 19 विश्वविद्यालय ंभारतीय आर् था से एम.डी. (	956 (1956 का या समुतुल्य आ रुर्विज्ञान रजिस्ट त्वचा रोग विज्ञ	राज्य के लदाख र लाहौल और स्पी के पांगी उपखंड, द्वीप या लक्षद्वीप विहित की गई है 102) लागू ईता द में	ति जिले तथा चम्बा-जि अंदमान और निकोब के अभ्यर्थियों के लिए ।) 9	।ले गर 	(† 1567:50:10:20) 10
। अनुसूचिर Iर किसी र जस्ट्रीकृत ह i) किसी म	8 (i) भारतीय आन वों में सम्मिलित तज्य आयुर्विज्ञा होना चाहिए। सन्यताप्राप्त त्रिश्व सन्य प्राप्त दी (	युर्विज्ञान परिषद कोई एक मूल न रजिस्टर य वविद्यालय/संस् त्वचा रोग वि	्अधिनियम, 19 विश्वविद्यालय भारतीय आर् था से एम.डी. ( जान और रति	956 (1956 का या समनुल्य आ र्गुर्विज्ञान रजिस्ट त्वचा रोग विज्ञ रोग विज्ञान औ	राज्य के लदाख र लाहौल और स्पी के पांगी उपखंड, द्वीप या लक्षद्वीप र विहित की गई है 102) लागू ईता द में त भें	ति जिले तथा चम्बा-जि अंदमान और निकोब के अभ्यर्थियों के लिए ।) 9	।ले गर 	(† 1567:50:10:20) 10
। अनुसूचिर र किसी र जस्ट्रीकृत ह i) किसी म ते रोग विइ	8 (i) भारतीय आग वों में सम्मिलित राज्य आयुर्विज्ञा होना चाहिए। तान्यताप्राप्त लिश् तान)/एम.डी. (	युर्विज्ञान परिषद कोई एक मूल न रजिस्टर य वविद्यालय/संस् त्वचा रोग वि वज्जान)/एम. र्ड	्अधिनियम, 19 विश्वविद्यालय भारतीय आर् था से एम.डी. ( ज्ञान और रति ो. (त्वचा रोग	956 (1956 का या समुतुल्य आ रुविज्ञान रजिस्ट त्वचा रोग विज्ञ रोग विज्ञान औ विज्ञान जिसमें	राज्य के लदाख र लाहौल और स्पी के पांगी उपखंड, द्वीप या लक्षद्वीप विहित की गई है विहित की गई है 102) लागू हेता त में तन और र कुष्ठ रति रोग	ति जिले तथा चम्बा-जि अंदमान और निकोब के अभ्यर्थियों के लिए ।) 9	।ले गर 	(† 1567:50:10:20) 10
अनुसूचिर र किसी र तस्ट्रीकृत ह i) किसी म ते रोग विइ ग)/एम.डी	8 (i) भारतीय आग यों में सम्मिलित तज्य आयुर्विज्ञा होना चाहिए। तन्यताप्राप्त विश् तान)/एम.डी. ( त्वचा रोग वि त्वित है)/000 उ	युर्विज्ञान परिषद कोई एक मूल न रजिस्टर य वविद्यालय/संस् त्वचा रोग वि वज्ञान)/एम. र्ड दी (त्वचा रोग	(अधिनियम, 19 विश्वविद्यालय भारतीय आर् था से एम.डी. ( ज्ञान और रति ो. (त्वचा रोग ा विज्ञान जिस	256 (1956 का या सम्रतुल्य अप रुविज्ञान रजिस्ट त्वचा रोग विज्ञ रोग विज्ञान औ विज्ञान जिसमें ने रति रोग विज्ञ	राज्य के लदाख र लाहौल और स्पी के पांगी उपखंड, द्वीप या लक्षद्वीप विहित की गई है विहित की गई है 102) लागू ईता तर में 1न और र कुष्ठ रति रोग 1न और	ति जिले तथा चम्बा-जि अंदमान और निकोब के अभ्यर्थियों के लिए ।) 9	।ले गर 	(† 1567:50:10:20) 10
अनुसूचिर र किसी र तस्ट्रीकृत ह i) किसी म ते रोग विइ ग)/एम.डी	8 (i) भारतीय आग यों में सम्मिलित तज्य आयुर्विज्ञा होना चाहिए। तन्यताप्राप्त विश् तान)/एम.डी. ( त्वचा रोग वि त्वित है)/000 उ	युर्विज्ञान परिषद कोई एक मूल व िद्यालय/संस् त्वचा रोग वि वज्ञान)/एम. र्ड डी. (त्वचा रोग वी डी या डी	( अधिनियम, 19 विश्वविद्यालय भारतीय आर् था से एम.डी. ( ज्ञान और रति ो. (त्वचा रोग ा विज्ञान जिस डी सहित एम.	956 (1956 का या समुतुल्य आ रुविज्ञान रजिस्ट त्वचा रोग विज्ञ रोग विज्ञान औ विज्ञान जिसमें दें रति रोग विज्ञ डी. (आयुर्विइ	राज्य के लदाख र लाहौल और स्पी के पांगी उपखंड, द्वीप या लक्षद्वीप विहित की गई है विहित की गई है 102) लागू हेता तर में 102) लागू र्हता रत गें तर कुष्ठ रति रोग तन और तन और तन और	ति जिले तथा चम्बा-जि अंदमान और निकोब के अभ्यर्थियों के लिए ।) 9	।ले गर 	(† 1567:50:10:20) 10
अनुसूचिर र किसी र जस्ट्रीकृत ह i) किसी म ते रोग विद् तो/एम.डी ज्ञान सम्मि ष्ठ रोग स	8 (i) भारतीय आग यों में सम्मिलित राज्य आयुर्विज्ञा होना चाहिए। तान्यताप्राप्त विश् तान)/एम.डी. ( त्वचा रोग वि (त्वचा रोग वि (त्वित है)/एम. उ म्मिलित है)/डी	युर्विज्ञान परिषद कोई एक मूल न रजिस्टर य वविद्यालय/संस् त्वचा रोग वि वज्ञान)/एम. ड डी. (त्वचा रोग वी डी या डी	( अधिनियम, 19 विश्वविद्यालय म भारतीय आर् था से एम.डी. ( ज्ञान और रति ो. (त्वचा रोग 1 विज्ञान जिस डी सहित एम.	956 (1956 का या समनुत्य आ रुविज्ञान रजिस्ट त्वचा रोग विज्ञ रोग विज्ञान औ विज्ञान जिसमें वे रति रोग विज्ञ डी. (आयुर्विज्ञ	राज्य के लदाख र लाहौल और स्पी के पांगी उपखंड, द्वीप या लक्षद्वीप विहित की गई है विहित की गई है 102) लागू हेता त में 103 लागू रति रोग तन और त कुष्ठ रति रोग तन और तान और	ति जिले तथा चम्बा-जि अंदमान और निकोब के अभ्यर्थियों के लिए ।) 9	।ले गर 	(† 1567:50:10:20) 10
। अनुसूचिर Iर किसी र जस्ट्रीकृत ह i) किसी म ते रोग विइ ग)/एम.डी ाज्ञान सम्मि फ्ठ रोग सा मतुल्य।	8 (i) भारतीय आन् वों में सम्मिलित तज्य आयुर्विज्ञा दोना चाहिए। तान्यताप्राप्त त्रिश् तान)/एम.डी. ( त्वचा रोग वि तित है)/एम. र म्मिलित है)/डी	युर्विज्ञान परिषद कोई एक मूल न रजिस्टर य वविद्यालय/संस् त्वचा रोग वि वज्ञान)/एम. र्ड डी. (त्वचा रोग वी डी या डी करने के पञ्चात	( अधिनियम, 19 विश्वविद्यालय भारतीय आर् था से एम.डी. ( ज्ञान और रति ो. (त्वचा रोग ा विज्ञान जिस डी सहित एम. संबंधित विशेष्य	256 (1956 का या समनुल्य अव रुविज्ञान रजिस्ट त्वचा रोग विज्ञ रोग विज्ञान औ विज्ञान जिसमें दें रति रोग विज्ञ डी. (आयुर्विज्ञ रता में किसी मान	राज्य के लदाख र लाहौल और स्पी के पांगी उपखंड, द्वीप या लक्षद्वीप र विहित की गई है विहित की गई है 102) लागू हैता तर में 103 लागू हैता र तन है है र तन ही र तन ही र तन र तन र तन र तन र तन र तन र तन र त	ति जिले तथा चम्बा-जि अंदमान और निकोब के अभ्यर्थियों के लिए ।) 9	।ले गर 	(† 1567:50:10:20) 10
। अनुसूचिर र किसी र जस्ट्रीकृत ह i) किसी म ते रोग विड ग)/एम.डी ज्ञान सम्मि फ्ठ रोग स मतुल्य। ii) स्नातको प्रकाणी आ	8 (i) भारतीय आग वों में सम्मिलित राज्य आयुर्विज्ञा होना चाहिए। तान्यताप्राप्त त्रिश तान्यतप्राप्त विश्व तान्त है)/एम. उ म्मिलित है)/डी मिमलित है)/डी मात्तर अईता प्राप्त व	युर्विज्ञान परिषद कोई एक मूल न रजिस्टर य वविद्यालय/संस् त्वचा रोग वि वज्ञान)/एम. र्ड डी. (त्वचा रोग वी डी या डी करने के पश्चात् द्यालय/शिक्षण	( अधिनियम, 19 विश्वविद्यालय भारतीय आर् था से एम.डी. ( ज्ञान और रति ो. (त्वचा रोग ा विज्ञान जिस डी सहित एम. संबंधित विशेषद संस्था में प्राध्य	256 ( 1956 का या समतुत्स्य अप रुविज्ञान रजिस्ट त्वचा रोग विज्ञ रोग विज्ञान औ विज्ञान जिसमें ज ने रति रोग विज्ञ डी. ( आयुर्विज्ञ तता में किसी मान तापक/रजिस्ट्रार/	राज्य के लदाख र लाहौल और स्पी के पांगी उपखंड, द्वीप या लक्षद्वीप र विहित की गई है विहित की गई है 102) लागू हैता तर में 103 लागू हैता र तन है है र तन ही र तन ही र तन र तन र तन र तन र तन र तन र तन र त	ति जिले तथा चम्बा-जि अंदमान और निकोब के अभ्यर्थियों के लिए ।) 9	।ले गर 	(† 1567:50:10:20) 10
। अनुसूचिर र किसी र जस्ट्रीकृत ह i) किसी म ते रोग विद् ग)/एम.डी ाज्ञान सम्मि म्वुल्य। म्वुल्य। ii) स्नातको रकारी आ	8 (i) भारतीय आग में में सम्मिलित तज्य आयुर्विज्ञा होना चाहिए। तन्यताप्राप्त त्रिश् तान्यताप्राप्त व्रिश् तान्य ज्यादा रोग वि तिलत है)/एम. उ म्मिलित है)/डी मर्चा उर्हता प्राप्त व युर्विज्ञान महावि कर्णन उर्का प्राप्त के	युर्विज्ञान परिषद कोई एक मूल न रजिस्टर य वविद्यालय/संस् त्वचा रोग वि क्ञान)/एम. र्ड डी. (त्वचा रोग वी डी या डी करने के पश्चात् द्यालय/शिक्षण	( अधिनियम, 19 विश्वविद्यालय भारतीय आर् था से एम.डी. ( ज्ञान और रति ो. (त्वचा रोग ा विज्ञान जिस डी सहित एम. संबंधित विशेषज्ञ संस्था में प्राध्य का शिक्षण अन	256 (1956 का या सम्रतुल्य आ रुविज्ञान रजिस्ट त्वचा रोग विज्ञ रोग विज्ञान औ विज्ञान जिसमें तें रति रोग विज्ञ डी. (आयुर्विइ डी. (आयुर्विइ ता में किसी मान गपक/रजिस्ट्रार/ भव।	राज्य के लदाख र लाहौल और स्पी के पांगी उपखंड, द्वीप या लक्षद्वीप यं विहित की गई है विहित की गई है 102) लागू र हैता तर में 102) लागू र हैता र कुष्ठ रति रोग तन और तन) या यताप्राप्त रसीनियर	ति जिले तथा चम्बा-जि अंदमान और निकोब के अभ्यर्थियों के लिए ।) 9	।ले गर 	(† 1567:50:10:20) 10
। अनुसूचिर र किसी र जस्ट्रीकृत ह i) किसी म ते रोग विद् ग)/एम.डी ाज्ञान सम्मि म्वुल्य। म्वुल्य। ii) स्नातको रकारी आ	8 (i) भारतीय आग में में सम्मिलित तज्य आयुर्विज्ञा होना चाहिए। तन्यताप्राप्त त्रिश् तान्यताप्राप्त व्रिश् तान्य ज्यादा रोग वि तिलत है)/एम. उ म्मिलित है)/डी मर्चा उर्हता प्राप्त व युर्विज्ञान महावि कर्णन उर्का प्राप्त के	युर्विज्ञान परिषद कोई एक मूल न रजिस्टर य वविद्यालय/संस् त्वचा रोग वि क्ञान)/एम. र्ड डी. (त्वचा रोग वी डी या डी करने के पश्चात् द्यालय/शिक्षण	( अधिनियम, 19 विश्वविद्यालय भारतीय आर् था से एम.डी. ( ज्ञान और रति ो. (त्वचा रोग ा विज्ञान जिस डी सहित एम. संबंधित विशेषज्ञ संस्था में प्राध्य का शिक्षण अन	256 (1956 का या सम्रतुल्य आ रुविज्ञान रजिस्ट त्वचा रोग विज्ञ रोग विज्ञान औ विज्ञान जिसमें तें रति रोग विज्ञ डी. (आयुर्विइ डी. (आयुर्विइ ता में किसी मान गपक/रजिस्ट्रार/ भव।	राज्य के लदाख र लाहौल और स्पी के पांगी उपखंड, द्वीप या लक्षद्वीप यं विहित की गई है विहित की गई है 102) लागू र हैता तर में 102) लागू र हैता र कुष्ठ रति रोग तन और तन) या यताप्राप्त रसीनियर	ति जिले तथा चम्बा-जि अंदमान और निकोब के अभ्यर्थियों के लिए ।) 9	।ले गर 	(† 1567:50:10:20) 10
। अनुसूचिर र किसी र जस्ट्रीकृत ह i) किसी म ते रोग विद् ग)/एम.डी ज्ञान सम्मि मतुल्य। संतुल्य। ii) स्नातको रकारी आ जिडेंट/परि टेप्पण 1 :	8 (i) भारतीय आग में में सम्मिलित तज्य आयुर्विज्ञा होना चाहिए। तन्यताप्राप्त त्रिश ज्ञान)/एम.डी. ( . (त्वचा रोग वि . (त्वचा रोग वा . (त्वचा राग वा . (त्वचा रा	युर्विज्ञान परिषद कोई एक मूल न रजिस्टर य वविद्यालय/संस् त्वचा रोग वि वज्ञान)/एम. र्ड डी. (त्वचा रोग ची डी या डी करने के पश्चात् द्यालय/शिक्षण रूप में 3 वर्ष न्यथा सुअर्थित	( अधिनियम, 19 विश्वविद्यालय भारतीय आर् था से एम.डी. ( ज्ञान और रति ो. (त्वचा रोग ा विज्ञान जिस डी सहित एम. संबंधित विशेषप्र संस्था में प्राध्य का शिक्षण अन् अभ्यर्थियों की	256 (1956 का या सम्रतुल्य आ रुविज्ञान रजिस्ट त्वचा रोग विज्ञ रोग विज्ञान औ विज्ञान जिसमें तें रति रोग विज्ञ डी. (आयुर्विइ डी. (आयुर्विइ ता में किसी मान गपक/रजिस्ट्रार/ भव।	राज्य के लदाख र लाहौल और स्पी के पांगी उपखंड, द्वीप या लक्षद्वीप यं विहित की गई है विहित की गई है 102) लागू र हैता तर में 102) लागू र हैता र कुष्ठ रति रोग तन और तन) या यताप्राप्त रसीनियर	ति जिले तथा चम्बा-जि अंदमान और निकोब के अभ्यर्थियों के लिए ।) 9	।ले गर 	(† 1567:50:10:20) 10
। अनुसूचिर र किसी र जस्ट्रीकृत ह i) किसी म ते रोग विद ग)/एम.डी ज्ञान सम्मि मतुल्य। स्रात समि मतुल्य। संजारी आ जिडेंट/परि टेप्पण 1 :	8 (i) भारतीय आग में में सम्मिलित ताज्य आयुर्विज्ञा होना चाहिए। तान्यताप्राप्त विश् तान्यताप्राप्त विश् तान्य जर्हता प्राप्त य पुर्विज्ञान महावि दर्शक/ट्यूटर के —अर्हताएं, अ	युर्विज्ञान परिषद कोई एक मूल न रजिस्टर य वविद्यालय/संस् त्वचा रोग वि वज्ञान)/एम. र्ड डी. (त्वचा रोग बी डी या डी करने के पश्चात् द्यालय/शिक्षण रूप में 3 वर्ष न्यथा सुअर्थित धिल की जा स	( अधिनियम, 19 विश्वविद्यालय भारतीय आर् था से एम.डी. ( ज्ञान और रति ो. (त्वचा रोग ा विज्ञान जिस डी सहित एम. संबंधित विशेषउ संस्था में प्राध्य का शिक्षण अनु अभ्यर्थियों की कती हैं।	256 (1956 का या सम्रतुत्स्य अप रुविज्ञान रजिस्ट त्वचा रोग विज्ञ रोग विज्ञान औ विज्ञान जिसमें ते रति रोग विज्ञ देश. (आयुर्विज्ञ डो. (आयुर्विज्ञ तता में किसी मान रापक/रजिस्ट्रार/ भव। दशा में संघ ले	राज्य के लदाख र लाहौल और स्पी के पांगी उपखंड, द्वीप या लक्षद्वीप यं विहित की गई है 102) लागू र हैता तर में 102) लागू र हैता र कुष्ठ रति रोग तन और तन और तान तान और तान तान की तान तान की तान की तान की तान की ता की त ता की त की त की तान की त की ता ता की त की ता ता की त	ति जिले तथा चम्बा-जि अंदमान और निकोब के अभ्यर्थियों के लिए ।) 9	।ले गर 	(† 1567:50:10:20) 10
। अनुसूचिर र किसी र जस्ट्रीकृत ह i) किसी म ते रोग विद्य ग)/एम.डी ाज्ञान सम्मि मतुल्य। स्वार समि मतुल्य। संकारी आ जिडेंट/परि टेप्पण 1 : भाषोग के वि	8 (i) भारतीय आग वों में सम्मिलित तज्य आयुर्विज्ञा दोना चाहिए। गान्यताप्राप्त त्रिश् तान)/एम.डी. ( त्वचा रोग वि त्वच रे)/एम. र मिमलित है)/डी न्य अईता प्राप्त य युर्विज्ञान महावि दर्शक/ट्यू टर के — अईताएं, अ वेवेकानुसार शि	युर्विज्ञान परिषद कोई एक मूल न रजिस्टर य वविद्यालय/संस् त्वचा रोग वि वज्ञान)/एम. र्ड डी. (त्वचा रोग वी डी या डी करने के पश्चात् द्यालय/शिक्षण रूप में 3 वर्ष न्यथा सुअर्थित थिल की जा स बंधी अर्हता (	( अधिनियम, 19 विश्वविद्यालय भारतीय आर् था से एम.डी. ( ज्ञान और रति ो. (त्वचा रोग ा विज्ञान जिस डी सहित एम. संस्था में प्राध्य का शिक्षण अन् अभ्यर्थियों की कती हैं। अर्हताएं) संघ	256 (1956 का या समतुल्य अध रुविज्ञान रजिस्ट त्वचा रोग विज्ञ रोग विज्ञान औ विज्ञान जिसमें ते रति रोग विज्ञ ही. (आयुर्विज्ञ ही. (आयुर्विज्ञ ही. (आयुर्विज्ञ ही. (आयुर्विज्ञ राता में किसी मान् रापक/रजिस्ट्रार/ भव। दशा में संघ ले लोक सेवा अ	राज्य के लदाख र लाहौल और स्पी के पांगी उपखंड, द्वीप या लक्षद्वीप विहित की गई है विहित की गई है 102) लागू हैता तर में 102) लागू हैता तर में 102) लागू हैता तर में 103 लागू हैता र में 103 लागू हैता र में तान और तर कुछ्ठ रति रोग तान और तान पी तान और तान तान और तान और तान और तान और तान और तान और तान और तान पी तान और तान तान और तान पी तान पी तान जी तान की तान जी तान जी ता जी तान जी तान जी ता जा जा जी ता ता जी ता जा जी ता जा जी ता जा जा ता जी ता जा	ति जिले तथा चम्बा-जि अंदमान और निकोब के अभ्यर्थियों के लिए ।) 9	।ले गर 	(† 1567:50:10:20) 10
ा अनुसूचिर र किसी र जेस्ट्रीकृत ह i) किसी म ते रोग विड ग)/एम.डी मतुल्य। मतुल्य। (ii) स्नातको रिडेंट/परि टेप्पण 1 : प्रायोग के वि टेप्पण 2 :	8 (i) भारतीय आन वों में सम्मिलित तज्य आयुर्विज्ञा होना चाहिए। मन्यताप्राप्त त्रिश् तान)/एम.डी. ( त्वचा रोग वि (त्वचा रोग वि (त्वचा रोग वि (त्वचा रोग वि त्रांक/ट्यू टर के —अईताएं, अ वेवेकानुसार शि :—अनुभव संग	युर्विज्ञान परिषद कोई एक मूल न रजिस्टर य वविद्यालय/संस् त्वचा रोग वि वज्ञान)/एम. ड डी. (त्वचा रोग वी डी या डी करने के पश्चात् द्यालय/शिक्षण रूप में 3 वर्ष न्यथा सुअर्थित थिल की जा स बंधी अईता ( वर्णे और अन्य	( अधिनियम, 19 विश्वविद्यालय भारतीय आर् था से एम.डी. ( ज्ञान और रति ो. (त्वचा रोग ा विज्ञान जिस डी सहित एम. संबंधित विशेषक संस्था में प्राध्य का शिक्षण अन् अभ्यर्थियों की कती हैं। अर्हताएं) संघ	256 (1956 का या समतुल्य आ रुविज्ञान रजिस्ट त्वचा रोग विज्ञ रोग विज्ञान औ विज्ञान जिसमें ते रति रोग विज्ञ ही. (आयुर्विज्ञ ही. (आयुर्विज्ञ ही. (आयुर्विज्ञ ही. (आयुर्विज्ञ ही. (आयुर्विज्ञ ही. (आयुर्विज्ञ ही. दशा में संघ ले लोक सेवा अ तो के अभ्यर्थियों	राज्य के लदाख र लाहौल और स्पी के पांगी उपखंड, द्वीप या लक्षद्वीप यं विहित की गई है विहित की गई है 102) लागू र हेता त में 102) लागू र हेता त में 102) लागू र हेता त में 103 लागू र हेता त में तान और त कुष्ठ रति रोग तान और तान की त्या कि तान की त्या तान की त्या या या या या या या वान की त्या तान की तान की तान की ता की तान की ता ता तान की तान की तान की ता की ता की ता ता की ता की ता की ता ता की ता ता ता ता की ता ता त	ति जिले तथा चम्बा-जि अंदमान और निकोब के अभ्यर्थियों के लिए ।) 9	।ले गर 	(† 1567:50:10:20) 10
ो अनुसूचिय तेर किसी र जेस्ट्रीकृत ह ii) किसी म ते रोग विद ग)/एम.डी क्रजान सम्मि फुछ रोग सा क्रजान सम्मि फुछ रोग सा मानुल्य। iii) स्नातको तरकारी आ जिडेंट/परि टेप्पण 1 : विवेकानुसा रे ज्य जिस	8 (i) भारतीय आग यों में सम्मिलित तज्य आयुर्विज्ञा होना चाहिए। तन्यताप्राप्त त्रिश् तान्य, एम.डी. ( त्वचा रोग वि त्वच रे)/एम. उ त्वच रो/एम. उ म्मिलित है)/डी च्य उर्हता प्राप्त व युर्विज्ञान महावि दर्शक/ट्यूटर के —अईताएं, अ वेवेकानुसार शि :—अनुसूचित जा भव्य की जा मव	युर्विज्ञान परिषद कोई एक मूल न रजिस्टर य वविद्यालय/संस् त्वचा रोग वि वज्ञान)/एम. र्ड डी. (त्वचा रोग वी डी या डी करने के पश्चात् द्यालय/शिक्षण रूप में 3 वर्ष न्यथा सुअर्थित थिल की जा स बंधी अर्हता ( तेयों और अनुर क्ती हैं जब च	( अधिनियम, 19 विश्वविद्यालय भारतीय आर् था से एम.डी. ( ज्ञान और रति ो. (त्वचा रोग ा विज्ञान जिस डी सहित एम. संबंधित विशेषउ संस्था में प्राध्य का शिक्षण अन् अभ्यर्थियों की कती हैं। अर्हताएं) संघ जूचित जनजातिर यन के किसी प्र	256 (1956 का या सम्रतुल्य अध रुविज्ञान रजिस्ट त्वचा रोग विज्ञ रोग विज्ञान औ विज्ञान जिसमें तें रति रोग विज्ञ डी. (आयुर्विज्ञ डी. (आयुर्विज्ञ डी. (आयुर्विज्ञ डी. (आयुर्विज्ञ डी. (आयुर्विज्ञ डी. (आयुर्विज्ञ हो के के भ्यार्थियों क्रम पर संघ ल	राज्य के लदाख र लाहौल और स्पी के पांगी उपखंड, द्वीप या लक्षद्वीप विहित की गई है विहित की गई है 102) लागू हैता तर में 102) लागू हैता र कुछ्ठ रति रोग तन और तक सेवा गयोग के i की दशा तेक सेवा	ति जिले तथा चम्बा-जि अंदमान और निकोब के अभ्यर्थियों के लिए ।) 9	।ले गर 	(† 1567:50:10:20) 10
ो अनुस्चिय रे किसी र जेस्ट्रीकृत ह ii) किसी में ते रोग विइ ग)/एम.डी क्वान सम्मि फ्रुट रोग सां मानुल्य। iii) स्नातको स्कारी आ जिडेंट/परि टेप्पण 1 : त्रायोग के टेप्पण 2 : विवेकानुसा में तब शिपि	8 (i) भारतीय आग वों में सम्मिलित तज्य आयुर्विज्ञा दोना चाहिए। गान्यताप्राप्त त्रिश् तान)/एम.डी. ( त्वचा रोग वि त्वच रे)/एम. र मिमलित है)/डी न्य अईता प्राप्त य युर्विज्ञान महावि दर्शक/ट्यू टर के — अईताएं, अ वेवेकानुसार शि	युविज्ञान परिषद कोई एक मूल न रजिस्टर य वविद्यालय/संस् त्वचा रोग वि क्रान)/एम. ड डी. (त्वचा रोग वी डी या डी करने के पश्चात् करने के पश्चात् स्वया सुअर्थित धिल की जा स बंधी अर्हता ( तेयों और अनुग् कती हैं जब चा	( अधिनियम, 19 विश्वविद्यालय भारतीय आर् था से एम.डी. ( ज्ञान और रति ो. ( त्वचा रोग ा विज्ञान जिस डी सहित एम. संस्था में प्राध्य का शिक्षण अन् अभ्यर्थियों की कती हैं । अर्हताएं) संघ यूचित जनजातिय यन के किसी प्र क्षित रिक्तियों व	256 (1956 का या समतुल्य आ रुविज्ञान रजिस्ट त्वचा रोग विज्ञ रोग विज्ञान औ विज्ञान जिसमें ते रति रोग विज्ञ हो. (आयुर्विज्ञ हो. (आयुर्विज् हो. (आयुर्विज् हो. (आयुर्विज् हो. (आयुर्विज् हो. (आयुर्विज् हो. (आयुर्विज् हो. क्षे के सेवा के अभ्यर्थियों क्रम पर संघ ल ते भरने के लिए	राज्य के लदाख र लाहौल और स्पी के पांगी उपखंड, द्वीप या लक्षद्वीप विहित की गई है विहित की गई है 102) लागू ईता त में 102) लागू ईता र में 102) लागू हैता र में 103 लागू र में 104 लागू र में 105 लागू हैता र में 105 लागू हैता र में 107 लागू हैता र में 107 लागू हैता र में 108 लागू हैता र में 109 लागू हैता र में र में र न र में र न र में र न र न र न र न र न र न र न र न र न र न	ति जिले तथा चम्बा-जि अंदमान और निकोब के अभ्यर्थियों के लिए ।) 9	।ले गर 	(† 1567:50:10:20) 10

संभावना नहीं है।

of th

may

<u>[भा</u>

\_\_\_\_\_ पुषि 1.

2. 3. ₹ 4. ₹ ₹

here Ven Mec

Cha (De

scal

and

shal

app pers

othe rega

1. S. S. S.

गग II—खण्ड 3(i)]	भारत का राजपत्र : मार्च 22, 2003/च	वैत्र 1, 1925	651
At		12	
सीधी भर्ती द्वारा	C. setting	लागू नहीं होता	A succession in
<ul> <li>A subject of model wave on the second se</li></ul>			
	An and the second s		Transferit
13		astrono da	
ष्ट के संबंध में विचार करने के लिए समूह गृह सचिव, चंडीगढ़ प्रशासन सचिव, आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान, 1	—अध्यक्ष चंद्रीगढ प्रजासन —सटस्य	प्रत्येक अवसर पर संघ लोक करना आवश्यक है।	सवा आयाग सं परामश्च कार्यकर
प्रधानाचार्य, सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्याल अस्पताल, चंडीगढ़			n Norveley in Arriver (Contraction) In Norveley ison ac at
संबंधित विभाग का आचार्य और विभागाध्यक्ष सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और	ŧ,		
सरकारा आयुषिज्ञान महाविधालय जार अस्पताल, चंडीगढ़	—सदस्य	and the pailed of the	sid weight of
			011/9/2002-एम ई डेस्क II ]

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

एस. के. मिश्रा, अवर सचिव

PRINTER PRINT

## (Department of Health)

New Delhi, the 4th March, 2003

G.S.R. 125.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President reby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Senior Lecturers (Dermatology and enereology), Reader (Dermatology and Venereology), and Professor (Dermatology and Venereology), in the Government edical College and Hospital, Chandigarh, namely :—

1. Short title and commencement .—(1) These rules may be called the Government Medical College and Hospital, nandigarh, Senior Lecturers (Dermatology and Venereology), Reader (Dermatology and Venereology) and Professors Dermatology and Venereology), Recruitment Rules, 2003.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of the said posts, their classification and the rale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications id other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

4. Disqualification .--- No person,---

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entred into or contracted a marriage with any person,

nall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law pplicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any erson from the operative of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it nay, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission relax any if the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Savings.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions equired to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time, in this egard.

# THE GAZETTE OF INDIA: MARCH 22, 2003/CHAITRA 1, 1925

[PART II—SEC. 3(i)]

		CHEDULE	Carly C	-table Print
Jame of post	Number of post	Classification	Scale of	pay
	2	3	4	0 500 22 100/
. Professor	01*(2002)	General Central Service		00-500-22,100/- n-practicing
(Dermatology,	*Subject to variation	Group 'A' Gazetted Non-Ministerial	Allowar	
Venereology and	dependent on workload	Non-ministerial	st approvide	िल्हा एक साम का माह जन्म कर्तनक राजीय था।
Leprosy)			1	
		······································	Whather bene	fit of added years of
Whether selection by merit	Age limit for direct re	ecruits	Service admis	sible under rule 30
or selection-cum-seniority		THE REAL PROPERTY AND	of the Central	Civil Services
or Non-selection post			(Pension) Rule	
	6	and the second second second	7	मारकामे का लेखना -
5	Not exceeding fifty years	A STATE OF A	Yes	क्रांगीया लाहायगर
Notapplicable	(D cloveble for Governme	ent servants upto five years		<ol> <li>Construction of the second s second second seco</li></ol>
	in accordance with the in	structions or orders issued		
	by the Central Governme	nt).	A CONTRACTOR	You a third prove the
	Note . The crucial date fo	r determining the age limit	A TYPE PARTY	and the second second
	shall be the closing date	for receipt of applications		
	from candidates in Indi	a (and not the closing date		
	prescribed for those	in Assam, Megnalaya,		and the second second
	Amunachal Pradesh Miz	oram, Manipur, Nagalaliu,	opportage in n	G.S.R. 125
	m. Cillin I adal	h Division of Jalilling and	A CONTRACTOR OF THE OWNER.	NULTURO MELSONAL CONTRACTOR
	Tripura, Sikkilii, Lauak	h Division of Jammu and		an enablement formations (1990)
	Vechmir State Labaul 2	and Spiti district and range	When maile the	and the brock (wondern)
	Kashmir State, Lahaul a	listrict of Himachal Pradesh,	When maile the	/enersology), Ricidae (Deni Autosi Collessional Daroh
Educational and other qual	Kashmir State, Lahaul a sub-division of Chamba c Andaman and Nicobar I	her age and Period of	asialose and vo including of them them them them them them them them	Method of recruitment
Educational and other qual required for direct recruits	Kashmir State, Lahaul a sub-division of Chamba c Andaman and Nicobar I iffications Whet educa tions direct apply prom	and Spitt district and Fangi listrict of Himachal Pradesh, slands or Lakshadweep). her age and Period of tional qualifica- probation prescribed for trecruits will v in the case of totees	ov her varians infrational 2 ( Here 2 nd 1 Here 2 nd 1 n, if any a second state and a second state of a second state	Method of recruitment whether by direct recruitment or by pro- motion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled
required for direct recruits	Kashmir State, Lahaul a sub-division of Chamba c Andaman and Nicobar I iffications Whet educa tions direct apply prom	and Spitt district and Fangr listrict of Himachal Pradesh, slands or Lakshadweep). her age and Period of tional qualifica- probation prescribed for trecruits will in the case of totees	Annual basis of the second sec	Method of recruitment whether by direct recruitment or by pro- motion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods
required for direct recruits	Kashmir State, Lahaul a sub-division of Chamba c Andaman and Nicobar I ifications Whet educa tions direct apply prom	and Spiti district and Falgi         listrict of Himachal Pradesh,         slands or Lakshadweep).         her age and period of ational qualifica-         prescribed for trecruits will v in the case of otees         9       10	V he valians Lancabasi V ( Henry 2 and 3 An if any a protocol 4 an adaption of Rafe at 190, finantit la cicar fine bot 10 an an incenti	Method of recruitment whether by direct recruitment or by pro- motion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods
required for direct recruits	Kashmir State, Lahaul a sub-division of Chamba c Andaman and Nicobar I ifications Whet educa tions direct apply prom	and Spiti district and Falgr       listrict of Himachal Pradesh,       slands or Lakshadweep).       her age and       prescribed for       trecruits will       v in the case of       ootees       9     10       : No     One yez	n, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by pro- motion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods
required for direct recruits	Kashmir State, Lahaul a sub-division of Chamba c Andaman and Nicobar I iffications Whet educa tions direct apply prom	and Spitt district and Falgr         listrict of Himachal Pradesh,         slands or Lakshadweep).         her age and period of ational qualifica- probation prescribed for trecruits will in the case of ational qualification of the cas	n, if any is an a for a	Method of recruitment whether by direct recruitment or by pro- motion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods <u>Il</u> Promotion/deputation (including short term
required for direct recruits 8 Essential : (i) A basic University	Kashmir State, Lahaul a sub-division of Chamba c Andaman and Nicobar I iffications Whet educa tions direct apply prom Age v or equivalent Educ	and Spiti district and Fangr listrict of Himachal Pradesh, slands or Lakshadweep).         her age and ntional qualifica- prescribed for trecruits will in the case of totees         9       10         No       One yea cational Qualifica- recruits	n, if any or here reactions many n, if any or here the here of Here here the but for direct	Method of recruitment whether by direct recruitment or by pro- motion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods <u>II</u> Promotion/deputation (including short term contract) failing which
required for direct recruits 8 Essential : (i) A basic University qualification inclusion	Kashmir State, Lahaul a sub-division of Chamba c Andaman and Nicobar I ifications Whet educa tions direct apply prom Age v or equivalent ded in any one tions	and Spiti district and Falgr         listrict of Himachal Pradesh,         slands or Lakshadweep).         her age and period of tional qualifica- probation         prescribed for trecruits will v in the case of totees         9       10         : No       One year         actional Qualifica- recruits         s: Yes	An	Method of recruitment whether by direct recruitment or by pro- motion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods <u>II</u> Promotion/deputation (including short term contract) failing which by direct recruitment.
required for direct recruits 8 Essential: (i) A basic University qualification inclue of the Schedules	Kashmir State, Lahaul a sub-division of Chamba c Andaman and Nicobar I ifications Whet educa tions direct apply prom Age v or equivalent ded in any one to the Indian	and Spiti district and Faligr         listrict of Himachal Pradesh,         slands or Lakshadweep).         her age and period of ational qualifica- probation         prescribed for trecruits will rin the case of ational qualification         9       10         : No       One year         actional Qualification         s: Yes	An	Method of recruitment whether by direct recruitment or by pro- motion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods <u>II</u> Promotion/deputation (including short term contract) failing which by direct recruitment.
Required for direct recruits 8 Essential: (i) A basic University qualification inclus of the Schedules Medical Council A of 1956) and must	Kashmir State, Lahaul a sub-division of Chamba c Andaman and Nicobar I iffications Whet educa tions direct apply prom v or equivalent ded in any one to the Indian Act, 1956 (102 be registered in	and Spiti district and Faligr         listrict of Himachal Pradesh,         slands or Lakshadweep).         her age and period of ational qualifica- probation         prescribed for trecruits will rin the case of ational qualification         9       10         : No       One year         actional Qualification         s: Yes	A providence of the second sec	Method of recruitment whether by direct recruitment or by pro- motion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods <u>II</u> Promotion/deputation (including short term contract) failing which by direct recruitment.
Required for direct recruits 8 Essential: (i) A basic University qualification inclus of the Schedules Medical Council A of 1956) and must	Kashmir State, Lahaul a sub-division of Chamba c Andaman and Nicobar I iffications Whet educa tions direct apply prom v or equivalent ded in any one to the Indian Act, 1956 (102 be registered in	and Spiti district and Faligr         listrict of Himachal Pradesh,         slands or Lakshadweep).         her age and period of ational qualifica- probation         prescribed for trecruits will rin the case of ational qualification         9       10         : No       One year         actional Qualification         s: Yes	A providence of the second sec	Method of recruitment whether by direct recruitment or by pro- motion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods <u>II</u> Promotion/deputation (including short term contract) failing which by direct recruitment.
Required for direct recruits 8 Essential : (i) A basic University qualification inclus of the Schedules Medical Council A of 1956) and must a State Medical Re	Kashmir State, Lahaul a sub-division of Chamba c Andaman and Nicobar I iffications Whet educa- tions direct apply prom Age v or equivalent ded in any one to the Indian Act, 1956 (102 be registered in gister or Indian	and Spiti district and Falge         listrict of Himachal Pradesh,         slands or Lakshadweep).         her age and period of ational qualifica- probation         prescribed for trecruits will rin the case of ational qualifica- probation         9       10         : No       One year         s: Yes	a pharaita a sharaita	Method of recruitment whether by direct recruitment or by pro- motion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods <u>II</u> Promotion/deputation (including short term contract) failing which by direct recruitment.
Required for direct recruits 8 Essential : (i) A basic University qualification inclus of the Schedules Medical Council A of 1956) and must a State Medical Re Medical Register;	Kashmir State, Lahaul a sub-division of Chamba c Andaman and Nicobar I iffications Whet educa tions direct apply prom Age v or equivalent ded in any one to the Indian Act, 1956 (102 be registered in gister or Indian	and Spiti district and Falge         listrict of Himachal Pradesh,         slands or Lakshadweep).         her age and period of         tional qualifica-probation         prescribed for         trecruits will         in the case of         otees         9         10         : No       One yes         actional Qualifica-         s: Yes	A be readents an along back of the readents of the readents of the readents of the readents of the readents of the readents of the readents of the readents of the readents of the readents the readents of the readents the readents of the readents of the readents of the readents of the	Method of recruitment whether by direct recruitment or by pro- motion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods <u>II</u> Promotion/deputation (including short term contract) failing which by direct recruitment.
Required for direct recruits 8 Essential: (i) A basic University qualification inclus of the Schedules Medical Council A of 1956) and must a State Medical Re Medical Register; (i) A D (Dermatology)	Kashmir State, Lahaul a sub-division of Chamba c Andaman and Nicobar I iffications Whet educa tions direct apply prom Age v or equivalent ded in any one to the Indian Act, 1956 (102 be registered in gister or Indian	and Spiti district and Falge         listrict of Himachal Pradesh,         slands or Lakshadweep).         her age and period of         tional qualifica-probation         prescribed for         trecruits will         in the case of         otees         9         10         : No       One yes         actional Qualifica-         s: Yes	A be readents an along back of the readents of the readents of the readents of the readents of the readents of the readents of the readents of the readents of the readents of the readents the readents of the readents the readents of the readents of the readents of the readents of the	Method of recruitment whether by direct recruitment or by pro- motion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods <u>II</u> Promotion/deputation (including short term contract) failing which by direct recruitment.
Required for direct recruits 8 Essential : (i) A basic University qualification inclus of the Schedules Medical Council A of 1956) and must a State Medical Re Medical Register; (ii) M. D. (Dermatolog M.D. (Dermatolog Leprosy)/M.D. (I	Kashmir State, Lahaul a sub-division of Chamba c Andaman and Nicobar I iffications Whet educa- tions direct apply prom v or equivalent ded in any one to the Indian Act, 1956 (102 be registered in gister or Indian by and Venereology and contrology (M D)	and Spiti district and Falge         listrict of Himachal Pradesh,         slands or Lakshadweep).         her age and period of ational qualifica- probation         prescribed for trecruits will rin the case of ational qualifica- probation         9       10         : No       One year         s: Yes       Market at the second	A she redians introllogid () Hencebool () Hencebool () Internet ()	Method of recruitment whether by direct recruitment or by pro- motion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods <u>II</u> Promotion/deputation (including short term contract) failing which by direct recruitment.
8 Essential: (i) A basic University qualification inclus of the Schedules Medical Council A of 1956) and must a State Medical Re Medical Register; (ii) M. D. (Dermatolog Leprosy)/M.D. (I (Dermatology incl	Kashmir State, Lahaul a sub-division of Chamba c Andaman and Nicobar I iffications Whet educa tions direct apply prom v or equivalent ded in any one to the Indian Act, 1956 (102 be registered in gister or Indian cy and Venereology)/ cy, Venereology and Dermatology)/M.D.	and Spiti district and Falge listrict of Himachal Pradesh, slands or Lakshadweep).         her age and tional qualifica- prescribed for trecruits will in the case of totees         9       10         No       One yeat cational Qualifica- s: Yes	A second and a second a	Method of recruitment whether by direct recruitment or by pro- motion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods II Promotion/deputation (including short term contract) failing which by direct recruitment.
8 Essential : (i) A basic University qualification inclus of the Schedules Medical Council A of 1956) and must a State Medical Re Medical Register; (ii) M. D. (Dermatolog M.D. (Dermatolog Leprosy)/M.D. (I (Dermatology incl M.D. (Dermatology incl M.D. (Dermatology incl M.D. (Dermatology incl M.D. (Dermatology incl	Kashmir State, Lahaul a sub-division of Chamba c Andaman and Nicobar I iffications Whet educa tions direct apply prom Age v or equivalent Educ ded in any one to the Indian Act, 1956 (102 be registered in gister or Indian cy and Venereology)/ gy, Venereology and Dermatology)/M.D. uding Venereology)/ cology including	and Spiti district and Falge listrict of Himachal Pradesh, slands or Lakshadweep).         her age and period of tional qualifica- prescribed for trecruits will in the case of totees         9       10         No       One yes cational Qualifica- s: Yes	A be readents and back of Heat and the readent of the constructions of the second states of the second s	Method of recruitment whether by direct recruitment or by pro- motion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods <u>II</u> Promotion/deputation (including short term contract) failing which by direct recruitment.
Required for direct recruits 8 Essential: (i) A basic University qualification inclus of the Schedules Medical Council A of 1956) and must a State Medical Re Medical Register; (ii) M. D. (Dermatolog M.D. (Dermatology Leprosy)/M.D. (II (Dermatology incl M.D. (Dermatology)	Kashmir State, Lahaul a sub-division of Chamba c Andaman and Nicobar I iffications Whet educa tions direct apply prom Age v or equivalent Educ ded in any one to the Indian Act, 1956 (102 be registered in gister or Indian cy and Venereology)/ gy, Venereology and Dermatology)/M.D. uding Venereology)/ ology including osy)/M.D. (Medicine)	and Spiti district and Falge listrict of Himachal Pradesh, slands or Lakshadweep).         her age and period of tional qualifica- prescribed for trecruits will in the case of totees         9       10         No       One yes cational Qualifica- s: Yes	A be readents and back of Heat and the readent of the constructions of the second states of the second s	Method of recruitment whether by direct recruitment or by pro- motion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods II Promotion/deputation (including short term contract) failing which by direct recruitment.
8 Essential: (i) A basic University qualification inclue of the Schedules Medical Council A of 1956) and must a State Medical Reg Medical Register; (ii) M. D. (Dermatolog M.D. (Dermatolog Leprosy)/M.D. (I (Dermatology incl M.D. (Dermatology incl M.D. (	Kashmir State, Lahaul a sub-division of Chamba c Andaman and Nicobar I iffications Whet educa tions direct apply prom Age v or equivalent Educ ded in any one to the Indian Act, 1956 (102 be registered in gister or Indian cy and Venereology)/ gy, Venereology and Dermatology)/M.D. uding Venereology)/ cology including	and Spiti district and Falge listrict of Himachal Pradesh, slands or Lakshadweep).         her age and period of tional qualifica- prescribed for trecruits will in the case of totees         9       10         No       One yes cational Qualifica- s: Yes	A be readents and back of Heat and the readent of the constructions of the second states of the second s	Method of recruitment whether by direct recruitment or by pro- motion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods <u>Il</u> Promotion/deputation (including short term contract) failing which by direct recruitment.

652

## (iii) Ten years' experience in the profession after acquiring postgraduate qualification, out of which four years' should be as Reader/Associate Professor in a Recognized Medical College/Teaching Institution.

#### Note 1:

Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified.

#### Note 2 :

contract)

tions :---

The qualification(s) regarding experience is/ are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes. If at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them. Desirable :

Minimum four Research Publications indexed in Index Medicus/National Journals and one Research Publication in International Journals.

In case of recruitment by promotion/deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/absorption to be made

Promotion/Deputation (including Short-term

I. Officers of the Central/State Governments/

Union Territories/Statutory Bodies/Auto-

nomous Organizations/Research Institu-

(a) (i) holding analogous posts on regular

(ii) with two years' regular service in

20000/- or equivalent; and (b) possessing the educational and other qualifications prescribed for direct

recruits under column (8). II. The Departmental Officer in the grade of Reader (Dermatology, Venereology and Leprosy) with two years' regular service in the grade will also be considered alongwith outsiders and in case he/she is selected for appointment to the post, the same shall be deemed to have been filled by

posts in the scale of pay of Rs. 16400--

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition

(13) Group 'A' Departmental Promotion Committee (for

considering confirmation): 1. Home Secretary, Chandigarh Administration-Chairman 2. Secretary, Medical Education

and Research, Chandigarh Administration-Member

3. Principal, Government Medical College and Hospital,

Chandigarh-Member

(14) Consultation with Union Public Service Commission

Circumstances in which

occasion.

649 GI/2003-2

promotion.

Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment is necessary on each

653

Same

The Departmental Officer in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

(Period of Deputation/Contract including period of Deputation/Contract in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government, shall ordinarily not exceed five years. The maximum age limit for appointment by deputation (including shortterm contract) shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of the receipt of applications).

			z suedinger	and a state of the second state of the
-	(1)	(2)	(3) lo qui ether r	(4) and survey in the st
2.	Reader (Dermatology, Venereology and Leprosy)	01* (2002) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 16350-450-18600-500- 20100/- PLUS Non-practicing Allowance
_	(5)	(6)	a de la composición d La composición de la c	
No	tapplicable	Not exceeding fifty years.		(7) Yes
		by the Central Government	.)	
		(Relaxable for Governmen in accordance with the lnst by the Central Government Note : The crucial date for d	nuctions or orders issued	
		shall be the closing date fo from candidates in India ( prescribed for those in	r receipt of applications and not the closing date	
		Arunachal Pradesh, Mizora Tripura, Sikkim, Ladakh I	am, Manipur, Nagaland, Division of Jammu and	
ė		Kashmir State, Lahaul and sub-division of Chamba dist Andaman and Nicobar Islan	rict of Himachal Pradesh,	
				V
	(8)	(9)	(10)	(11)

(8)	(9)	(10)	(11)
<ul> <li>Essential:</li> <li>(i) A basic University or equivalent qualification included in any one of the Schedules to the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956) and must be registered in a State Medical Register or Indian Medical Register;</li> <li>(ii) M. D. (Dermatology and Venereology)/ M.D. (Dermatology and Venereology and Leprosy)/ M.D. (Dermatology //M.D. (Dermatology including Venereology)/ M.D. (Dermatology including</li> </ul>	Age : No Educational Qualifica- tions : Yes	One year for direct recruits	Promotion/deputation (including short term contract) failing which by direct recruitment.

(12)

### भारत का राजपत्र : मार्च 22, 2003/चैत्र 1, 1925

(8)

Venereology/Leprosy)/M.D. (Medicine) with D.V.D. or D.D. from a recognized University/Institution or equivalent.

(iii) Five years' teaching experience in the concerned speciality after acquiring postgraduate qualification as Assistant Professor/Senior Lecturer/Lecturer in a recognized Medical College/Teaching Institution.

#### Note 1 :---

Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified.

#### Note 2 :---

The qualification(s) regarding experience is/ are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes. If at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.

#### Desirable :

Minimum four Research Publications indexed in Index Medicus/National Journals.

#### (12)

Promotion/Deputation (including Short-term Contract):

- I. Officers of the Central/State Governments/ Union Territories/Statutory Bodies/Autonomous Organizations/Research Institutions :---
  - (a) (i) holding analogous posts on regular basis

#### OR

- (ii) with two years' regular service in posts in the scale of pay of Rs. 14300– 18300/- or equivalent; and
- (b) possessing the educational and other qualifications prescribed for direct recruits under column (8).
- II. The Departmental Officer in the grade of Senior Lecturer (Dermatology, Venereology and Leprosy) with two years' regular service in the grade will also be considered alongwith outsiders and in case he/she is selected for appointment to the post, the same shall be deemed to have been filled by promotion.

Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) : 1. Home Secretary, Chandigarh Administration—Chairman

(13)

2. Secretary, Medical Education and Research, Chandigarh

- Administration—Member 3. Principal, Government Medical College and Hospital, Chandigarh—Member
- 4. Professor and Head of the concerned Dor of Gover llege an Member

(14)

Consultation with Union Public Service Commission is necessary on each occasion.

(1)

655

CHARLEN CHARLEN

a intral against blog

Receiver & Southers Ladores

a follogi filade (talettino)

]

-

N Q th of

N T ar Pı Ca 01 se is ca th

av \_\_\_\_

N

6	THI	E GAZETTE OF INDLA : MARC	H 22, 2003/C	CHAITRA 1, 1925	[Part II—Sec. 3(i)]
	(	12)			
	who are in the difect be eligible for consid deputation. Similar be eligible for consid promotion.	ficer in the feeder category line of promotion shall not eration for appointment on ly, deputationists shall not leration for appointment by			Marca alogy with 15 Universe First ya canastron a canastron postron teno Pathe
	of Deputation/Contra held immediately pro- the same or some oth of the Central Gover exceed five years'. appointment by depu- contract) shall be no	n/Contract including period act in another ex-cadre post ecceding this appointment in her organization/department nment, shall ordinarily not The maximum age limit for intation (including short term of exceeding fifty six years' g date of the receipt of		не н пері пері пері	raziones ( jastianeo fautoreo, fautoreo,
	application).	an , the And Constant of Herberg and Test State of Learning and Learning and Learning and Learning and Herberg And Andrew State of Learning and Andrew State of Learning and Learnin		and the second	and south faith and the
		(2)	(3)		(4)
	(1) Senior Lecturer (Dermatology, Venereology and Leprosy)	01* (2002) *Subject to variation dependent on workload.		Central Service A' Gazetted nisterial	Rs. 14,300-400-15,900-450- 18,150/- plus Non-practicing Allowance
					(7)
	(5)	(6)			No
10	ot applicable	Not exceeding fifty years.			16
		(Relaxable for Governme in accordance with the in by the Central Governme	structions or nt).	orders issued	
		Note : The crucial date for shall be the closing date from candidates in India prescribed for those Arunachal Pradesh, Miz Tripura, Sikkim, Ladak Kashmir State, Lahaul a sub-division of Chamba o Andaman and Nicobar I	for receipt o a (and not th in Assam, oram, Manip h Division c and Spiti dist listrict of Him	e closing date Meghalaya, pur, Nagaland, of Jammu and rict and Pangi machal Pradesh,	p barries
-				(10)	(11)
	(	0)	9)	(10)	Direct recruitment
-	Essential :	Not aj	pplicable	One year	Directive
	qualification in of the Schedu Medical Count	rsity or equivalent icluded in any one iles to the Indian cil Act, 1956 (102 ust be registered in			

a State Medical Register or Indian Medical Register;

(8)

(iii) Three year's teaching experience in the concerned speciality after acquiring postgraduate qualification as Lecturer/ Registrar/Senior Resident/ Demonstrator/Tutor in a Recognized Medical College/Teaching Institution.

## Note 1:

Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified.

## Note 2 :

The qualification(s) regarding experience is/ are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes. If at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.

(12)	(13)	(14)	_
Not applicable	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) : 1. Home Secretary, Chandigarh Administration—Chairman 2. Secretary, Medical Education and Research, Chandigarh Administration—Member 3. Principal, Government Medical College and Hospital, Chandigarh—Member	Consultation with Union Public Service Commission is necessary.	
	<ol> <li>Professor and Head of the concerned Department of Government Medical College and Hospital, Chandigarh—Met</li> </ol>	mber	
		No. V. 24011/9/2002-ME Desk-II S.K. MISHRA, Under Secy	

#### नई दिल्ली, 22 नवम्बर, 2004

सा. का. नि. 417.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़, ज्येष्ठ प्राध्यापक (त्वचा रोग विज्ञान और रति रोग विज्ञान), उपाचार्य (त्वचा रोग विज्ञान और रति रोग विज्ञान) और आचार्य (त्वचा रोग विज्ञान और रति रोग विज्ञान), भर्ती नियम, 2002 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम, सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़, ज्येष्ठ प्राध्यापक (त्वचा रोग विज्ञान और रति रोग विज्ञान), उपाचार्य (त्वचा रोग विज्ञान और रति रोग विज्ञान), और आचार्य (त्वचा रोग विज्ञान और रति रोग विज्ञान) भर्ती (संशोधन) नियम, 2004 है।

## (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़, ज्येष्ठ प्राध्यापक (त्वचा रोग विज्ञान और रति रोग विज्ञान) उपाचार्य (त्वचा रोग विज्ञान और रति रोग विज्ञान) आचार्य (त्वचा रोग विज्ञान और रति रोग विज्ञान) भर्ती नियम, 2002 के नियम 1 के उपनियम (1) में '' 2002 '' अंकों के स्थान पर '' 2003 '' अंक रखे जाएंगे।

[ सं॰ वी॰-24011/9/2002-एम. ई. डैस्क-II ]

एस॰ के॰ मिश्रा, अवर सचिव

# पाद टिप्पण : मूल नियम सं. सा.का.नि. 125, तारीख 4 मार्च, 2003 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

## New Delhi, the 22nd November, 2004

G.S.R. 417.-In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Government Medical College and Hospital, Chandigarh, Senior Lecturers (Dermatology and Venerology), Reader (Dermatology and Venerology and Professors (Dermatology and Venerology), Recruitment Rules, 2002, namely :--

1. (1) These rules may be called the Government Medical College and Hospital, Chandigarh, Senior Lecturers (Dermatology and Venerology), Reader (Dermatology and Venerology) and Professors (Dermatology and Venerology) Recruitment (Amendment) Rules, 2004.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Government Medical College and Hospital, Chandigarh, Senior Lecturers (Dermatology and Venerology), Reader (Dermatology and Venerology) and Professors (Dermatology and Venerology) Recruitment Rules, 2002 in subrule (1) of rule 1, for the figures "2002", the figures "2003" shall be substituted.

[No. V.-24011/9/2002-ME Desk-II]

S. K. MISHRA, Under Secy.

Footnote: The Principal rules were published vide number G.S.R. 125 dated the 04th March, 2003.

#### CORRIGENDUM

## New Delhi, the 4th December, 2004

G.S.R. 418.—The heading of the Column No. 5 in the recruitment rules for the post of Assistant Research Officer (Biologists) Group "B" in the All India Intisitute of Hygiene & Public Health (GSR 415 of 2003) may read as "Whether Non-Selection Post or Selection Post" instead of "Whether Selection by Merit or Selection-cum-Seniority or Non-Selection".

[F.No. A-12025/5/96-PH (CDL)/PH]

K.V.S. RAO, Under Secy.

### इस्पात मंत्रालय

(स्थापना अनुभाग)

#### नई दिल्ली, 3 दिसम्बर, 2004

सा.का.नि. 419.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस्पात और खान मंत्रालय (इस्पात विभाग) ज्येष्ठ पुस्तकालय परिचर (समूह 'ग') भर्ती नियम, 1984 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने से लोप किया गया है, इस्पात मंत्रालय में ज्येष्ठ पुस्तकालय परिचर समूह 'ग' के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन